

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 973 / 2025

दिनांक : 10.03.2025

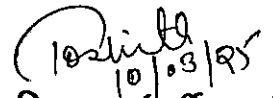
श्रीमती अलका बंसल (RJ00303), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 30.01.2025 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 31.01.2025 से 01.02.2025 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.02.2025 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्रीमती बंसल की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/06/2000/

दिनांक : 10.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली को उनके पत्रांक 13 दिनांक 03.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अलका बंसल (RJ00303), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।


सहायक रजिस्ट्रार